

## नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

**(दिनांक 16/05/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)**

**श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में दिनांक 16/05/2023 को प्रातः 11:00 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।**

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे: -

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामांकित)।
2. श्री सुनील कुमार, अधीक्षक, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक प्रबंधक, डीआईसी (DIC), नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि)। श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, कार्यालय अपर डीजीएफटी (DGFT), सीएलए (CLA), नई दिल्ली।
4. श्री अमित कुमार वर्मा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
5. श्रीमती मीनाक्षी नारंग, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।

B. इसके अलावा, श्री (i) नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजेड, (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (iv) जावीर अली, आशुलिपिक, परियोजना अनुमोदन समिति की सहायता के लिए अनुभाग, एनएसईजेड, (v) सत्य विजय वर्मा, एईई (AEE), यूपीपीसीबी (UPPCB), नोएडा और (vi) राजीव कुमार, जेर्झ, यूपीपीसीएल (UPPCL), नोएडा भी उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

**(1) दिनांक 03/05/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।**

दिनांक 03/05/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई सन्दर्भ था और न ही आपत्तियाँ। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 03/05/2023 को हुई बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

**(2) एक्रीज ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड-एनएसईजेड में दवाइयों उत्पाद व्यापार इकाई की स्थापना।**

2.1 श्री समीर रमेश तालीम, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि फॉर्म-एफ में दिए गए कुछ आईटीसी (एचएस) कोड नवीनतम नामकरण में मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा, अध्याय 2903 के तहत कुछ एचएस कोड के लिए निर्यात नीति "प्रतिबंधित या निषिद्ध है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि देश मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता है या नहीं। श्री तालीम यह नहीं बता सके कि वे जिन देशों को निर्यात करना चाहते हैं, वे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हिस्सा थे या नहीं।

I/46902/2023

2.2 अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि उनके आवेदन में कुछ कमियां हैं। इसके अलावा, आवेदक ने कई उत्पादों के पूरे 8 अंकों का एचएस कोड नहीं दिया है।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद आवेदक को निम्नलिखित प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ मामले को स्थगित कर दिया:

(i) सभी प्रस्तावित उत्पादों के स्पष्ट विवरण के साथ 8 अंकों का एचएस कोड (वर्तमान सीबीआईसी टैरिफ के अनुसार) प्रदान करें।

(ii) कुछ आईटीसी (एचएस) कोड अर्थात् 29033930, 29159090 और 29349900 मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा, फॉर्म-एफ में उल्लिखित उत्पादों के नाम में वर्तनी की गलतियाँ हैं क्योंकि 'आयोडीन और आयोडाइड' को 'लोडाइन और लोडाइड' के रूप में उल्लेख किया गया है, जिसे ठीक करने की आवश्यकता है।

(iii) एमसीए (MCA) की वेबसाइट पर उपलब्ध अंकड़ों के अनुसार, यह देखा गया है कि वर्तमान में कंपनी में चार निदेशक हैं। हालांकि, फॉर्म-एफ में आवेदक ने केवल दो निदेशकों के नाम का उल्लेख किया है। इसलिए, सभी निदेशकों के नाम फॉर्म-एफ में दिए जाने की आवश्यकता है और आवेदक को सभी निदेशकों के पैन, आवासीय आईडी प्रमाण और संक्षिप्त विवरण की प्रति जमा करने की आवश्यकता है।

(iv) आवेदक ने फॉर्म-एफ में विभिन्न उत्पादों के नामों का एक साथ उल्लेख किया है, जैसा कि परियोजना रिपोर्ट में दी गई व्यापारिक वस्तुओं की अलग शीट से देखा गया है। इसलिए, आवेदक को सही आईटीसी (एचएस) कोड के साथ फॉर्म-एफ में अलग-अलग कॉलम में सभी मदों का उल्लेख करना होगा।

(v) शपथ पत्र दिया गया है। हालांकि, यह नोटरीकृत नहीं है।

(vi) निधि प्रवाह कथन निर्धारित प्रारूप के अनुसार दिया जाना चाहिए।

(vii) खरीद का स्रोत यानी वे देश जहां से व्यापार किए जाने वाले सामान का आयात किया जाएगा और निर्यात का गंतव्य दिया जाना चाहिए।

(viii) कंपनी के पहले निदेशकों, अर्थात् श्री कानन विश्वनाथन और श्री के.वी. विश्वनाथन की समाप्ति के लिए डीआईआर-11/12 की प्रतियां जमा करने की आवश्यकता है।

(ix) आईटीसी (ITC) 2903 के तहत इकाई द्वारा उल्लिखित विवरण सीबीआईसी (CBIC) प्रशुल्क के साथ उल्लिखित विवरण से मेल नहीं खाता।

(x) आईटीसी (एचएस) कोड 29319090 का विवरण सीबीआईसी (CBIC) और डीजीएफटी (DGFT) में मौजूद नहीं है।

(xi) क्र.सं. के अनुसार 10.00 लाख रुपये की स्वदेशी इनपुट सेवाओं की मूल्यवार सूची और डिफॉल्ट सेवाओं का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(xii) फॉर्म-एफ1 के भाग-II में, यह देखा गया है कि 5 वर्षों के अगले ब्लॉक के लिए विदेशी मुद्रा वित्तीय स्थिति विवरण में पहले और दूसरे वर्ष में नकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) दिखाया गया है जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

(xiii) एनएसईजेड (NSEZ) में उनके द्वारा रखे गए माल के मूल्य में विसंगतियाँ होने के कारण।

**(3) आयनिक रिसर्च लिमिटेड - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण, आईटीसी (एचएस) कोड का समावेश, प्रदर्शन की निगरानी।**

3.1 इकाई के निदेशक श्री सतीश मेहता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने देखा कि इकाई को अधिकृत संचालन की अनुमति दी गई है जैसे "(ए) ऑकड़े प्रसारण; (बी) मूवी मर्केडाइजिंग; और (सी) ईंधन कोशिकाओं और ठोस राज्य बैटरी वाले विशेष वाहनों की असेंबली"। हालांकि, इकाई द्वारा दिए गए आईटीसी (एचएस) कोड में कृषि / खाद्य उत्पाद, चिकित्सा सामान / दवाएं, हवाई वाहन जैसे ग्लाइडर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर इत्यादि सहित विभिन्न उत्पाद शामिल हैं, जो अधिकृत संचालन से संबंधित नहीं हैं। श्री मेहता ने बताया कि वे एनएसईजेड (NSEZ) में बेस्पोक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और बैटरियों का निर्माण/असेंबल करने जा रहे हैं।

3.2 श्री मेहता ने बताया कि उन्हें ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से विशेषता वाहन में इस्तेमाल होने वाले सभी सामान की जरूरत होगी, जो अलग-अलग सेक्टर के हो सकते हैं। अनुमोदन समिति ने पाया कि यह व्यापार के समान है क्योंकि वे इसे संसाधित नहीं करेंगे। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि इकाई जनवरी 2023 से उसके द्वारा निर्देशित 5 लाख रुपये प्रति माह के पट्टे के किराए का भुगतान नहीं कर रही है। वर्तमान में 30.06.2023 तक इकाई के खिलाफ 28,13,379 रुपये की राशि का पट्टा किराया बकाया है।

3.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को निम्नलिखित दस्तावेज/जानकारी जमा करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया:

- (i) संशोधित फॉर्म-एफ1 में सही अधिकृत संचालन का उल्लेख है जो वे एनएसईजेड (NSEZ) में करने जा रहे हैं।
- (ii) वर्तमान सीबीआईसी (CBIC) प्रशुल्क के अनुसार माल का 8 अंकों का आईटीसी (एचएस) कोड पूर्ण और सही करें जिसे वे एनएसईजेड (NSEZ) से निर्यात करने जा रहे हैं।
- (iii) प्रत्येक विनिर्माण मदों जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और बैटरियों के लिए स्पष्ट और अलग विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट जिसमें कच्चे माल/पूंजीगत सामान/मध्यवर्ती उत्पादों का नाम/आईटीसी (एचएस) कोड दिया गया है और प्रक्रिया की जानी है।
- (iv) वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक आईटीसी (एचएस) कोड के साथ आयातित और स्वदेशी कच्चे माल / मध्यवर्ती उत्पादों की अलग सूची।
- (v) सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के क्रम संख्या और विवरण के अनुसार 4350 लाख रुपये मूल्य की अनुमानित स्वदेशी इनपुट सेवाओं की मूल्यवार सूची।
- (vi) अनुमोदन समिति के पूर्व निर्देशानुसार पट्टा किराया जमा करें।

**(4) जीएसआर इंडस्ट्रीज - स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन शामिल करना।**

4.1 श्री राजदीप सिंह, इकाई के साझेदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि प्रस्तावित मद 'तंबाकू' के पत्ते से बने धूम्रपान कोन' के लिए दिया गया आईटीसी (एचएस) कोड 24011095 मौजूद नहीं है। इसके अलावा, डीजीएफटी (DGFT) और सीबीआईसी (CBIC) के अनुसार आईटीसी (एचएस) कोड 12119039 का विवरण "छाल, भूसी और छिलका - अन्य" है, जबकि इकाई ने अध्याय शीर्षक का उल्लेख किया है, अर्थात् "तिलहन और तेलयुक्त फल,

I/46902/2023

विविध अनाज, बीज और फल; औद्योगिक या औषधीय पौधे; पुआल और चारा"। श्री सिंह उत्पादों के सही एचएस कोड/विवरण की व्याख्या नहीं कर सके।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मैसर्स जीएसआर (GSR) 'इंडस्ट्रीज' के स्वीकृति पत्र में (i) तम्बाकू की पत्ती से बने स्मोकिंग कोन और (ii) तिलहन और तेलयुक्त फल विविध अनाज, बीज और फल औद्योगिक या औषधीय पौधे; पुआल और चारा' के समावेश के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। अनुमोदन, 8 अंकों के सही एचएस कोड, विवरण और दोनों उत्पादों की उत्पादन क्षमता के साथ उत्पाद का पूरा विवरण प्रस्तुत करने के अधीन है।

**(5) श्रीकरम प्रीसाइंस प्राइवेट लिमिटेड - आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के तहत प्रतिबंधित, प्रतिबंधित, सरणीबद्ध वस्तुओं को छोड़कर सभी सामानों के भंडारण को शामिल करना और एचएस कोड 38249900 के तहत माल के आयात और निकासी के लिए दी गई एक बार की अनुमति का अनुसमर्थन।**

5.1 कंपनी के श्री आर. रामनाथन और श्री ए. रमेश अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री रामनाथन ने कहा कि चूंकि वे एक एफटीडब्ल्यूजेड (FTWZ) इकाई हैं, इसलिए पहले से यह अनुमान लगाना असंभव हो जाता है कि कौन सा ग्राहक किस एचएस कोड के तहत सामान लाएगा। इसलिए, उन्हें समय-समय पर उत्पन्न होने वाले अवसरों को सक्षम बनाने के लिए, उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें नकारात्मक सूची के अलावा सभी एचएसएन (HSN) कोड की सेवा करने की अनुमति दी जाए।

5.2 अनुमोदन समिति आईटीसी (एचएस) कोड के तहत सभी सामानों के भंडारण के लिए इकाई के अनुरोध पर सहमत नहीं हुई और उन्हें माल के एचएस कोड जमा करने का निर्देश दिया जो अब उनके लिए आवश्यक है। श्री रामनाथन ने उनके पत्र दिनांक 26/04/2023 द्वारा प्रस्तुत माल की सूची को अनुमोदित करने का अनुरोध किया।

5.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त माल के एचएस कोड की जांच करने के लिए पत्र दिनांक 26/04/2023 को निर्देशित किया और विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) के कार्यालय को फाइल पर निर्णय लेने का अधिकार दिया। अनुमोदन समिति ने एचएस कोड 38249900 के तहत माल के आयात और निकासी के लिए दी गई एक बार की अनुमति दिनांक 03/05/2023 की पुष्टि की।

**(6) करोरी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड - एनएसईजेड (NSEZ) में एक इकाई की स्थापना।**

6.1 श्री प्रशांत शौकीन, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि सोने/चांदी के आभूषणों के आईटीसी (एचएस) कोड 01.05.2023 से संशोधित किए गए हैं। हालांकि, फॉर्म-एफ में आवेदक ने पुराने आईटीसी (एचएस) कोड का उल्लेख किया है। इसके अलावा, जड़े हुए सोने के आभूषणों के लिए मूल्यवर्धन प्रक्षेपण निर्धारित मानदंडों से कम दिया गया है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार, जड़े हुए सोने के आभूषणों के लिए मूल्यवर्धन 6% (बहुमूल्य/अर्द्ध कीमती रत्न जड़ित के लिए) और 7% (हीरे से जड़ित के लिए) है।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद आवेदक को निम्नलिखित प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया:

(i) संशोधित फॉर्म-एफ1, अधिकृत निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, जिसमें वर्तमान सीबीआईसी (CBIC) प्रशुल्क के अनुसार प्रस्तावित विनिर्माण उत्पादों के लिए सही 8 अंकों के आईटीसी (एचएस) कोड का उल्लेख है।

I/46902/2023

(ii) वर्तमान निर्धारित मूल्यवर्धन मानदंडों के अनुसार प्रत्येक प्रस्तावित उत्पादों के मूल्यवर्धन का सही अनुमान। इसके अलावा, आपने मूल्यवर्धन की गणना के लिए स्वदेशी इनपुट (कच्चे माल) को ध्यान में नहीं रखा है।

(iii) 370.59 लाख रुपये मूल्य की प्रस्तावित स्वदेशी इनपुट सेवाओं की सूची क्रम संख्या और सेवाओं की डिफ़ॉल्ट सूची के विवरण के अनुसार।

(iv) कंपनी की शेयर पूँजी में वृद्धि के संबंध में एमसीए (MCA) से प्रमाण की प्रति।

(V) किराया अनुबंध मैसर्स एनएसए इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड (फर्स्ट पार्टी) और मैसर्स करोड़ी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड (किरायेदार) के नाम पर है, जिस पर मैसर्स एनएसए इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री कुलदीप सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, परिसर का बिजली बिल किसी अन्य व्यक्ति अर्थात् श्री भगवान दास के नाम पर है। उसी के संबंध में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है।

6.3 अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) के कार्यालय को इन सभी दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार भी दिया, जिसमें एनएसईजेड (NSEZ) की एक पुरानी इकाई अजीत एक्सपोर्ट्स के साथ आवेदक के संबंधों का मुद्दा भी शामिल था, जिसके खिलाफ कुछ मामले लंबित थे।

#### **(7) जीपीएल निर्यात - उत्पादन क्षमता में वृद्धि और प्रदर्शन की निगरानी।**

7.1 अनुमोदन समिति ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, '225000 टुकड़े/वर्ष' से "325000 टुकड़े/वर्ष" तक निर्माण वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अनुमोदन समिति ने 2018-19 (01.05.18-31.03.19) से 2021-22 के दौरान इकाई द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) और सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि के आधार पर इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 31/03/2022 तक वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) के अनुसार वसूली के लिए कोई निर्यात आय लंबित नहीं दिखाई गई है।

#### **(8) ग्लाइड केम प्राइवेट लिमिटेड - इकाई से बाहर निकलने के उद्देश्य के लिए स्वीकृति पत्र के विस्तार के लिए अनुरोध।**

8.1 श्री अजीतपाल सिंह मल्होत्रा, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री मल्होत्रा ने बताया कि निर्यात आदेशों में कमी के कारण उन्होंने एनएसईजेड (NSEZ) में परिचालन बंद करने का निर्णय लिया है।

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एसईजेड (SEZ) योजना से बाहर निकलने के लिए मैसर्स ग्लाइड केम प्राइवेट लिमिटेड को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। अनुमोदन समिति ने स्वीकृति पत्र की वैधता को 31/03/2024 तक विशेष रूप से बाहर निकलने की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए इस शर्त के अधीन बढ़ाया कि विस्तारित अवधि के दौरान आयात/घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र खरीद के लिए कोई नई अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुमोदन समिति ने इकाई को स्वीकृति पत्र की विस्तारित वैधता के भीतर सही वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) जमा करने और कंपनी के निदेशकों/शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के पूर्ण विवरण सहित बाहर निकलने की औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया।

#### **(9) वाटर नेक्स्ट सॉल्यूशन एलएलपी - निर्यात के बजाय घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाई के लिए 84219900 के एचएस कोड वाले अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के लिए अतिरिक्त पुर्जे (स्पेयर पार्ट्स) की बिक्री के लिए एक बार की अस्थायी अनुमति का अनुसमर्थन**

I/46902/2023

9.1 श्री अनिल बहल, भागीदार और श्री रविकांत गुप्ता, प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। श्री बहल ने बताया कि वारंटी अवधि के दौरान और वारंटी अवधि के बाद अतिरिक्त पुर्जे (स्पेयर पार्ट्स) को बदलने की आवश्यकता के कारण उन्हें घरेलू प्रशुल्क के साथ-साथ विदेशों में भी अपने ग्राहकों को अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र के अतिरिक्त पुर्जे (स्पेयर पार्ट्स) की आपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें उनके अधिकृत संचालन में 'अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (84219900) के अतिरिक्त पुर्जे (स्पेयर पार्ट्स) के व्यापार' की नियमित अनुमति दी जाए।

9.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाई को अतिरिक्त पुर्जे (स्पेयर पार्ट्स) (84219900) की आपूर्ति के लिए दी गई एक बार की अनुमति दिनांक 15/05/2023 की पुष्टि की। अनुमोदन समिति ने इकाई को अनुमत अधिकृत संचालन में "अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (84219900) के अतिरिक्त पुर्जे (स्पेयर पार्ट्स) के व्यापार" को शामिल करने की अनुमति दी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त